मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :– स्वाति गुप्ता आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या :–198/2024

1. अभिमन्यु सिह पुत्र करनी सिह जाति राजपूत निवारी सलेमगढ तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

– – वादी

बनाम

1. करनीसिह पुत्र बख्तावरसिह जाति राजपूत निवासी सलेमगढ तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. उषा कंवर पत्नी राजवीरसिह पुत्री करनीसिह जाति राजपूत निवासी तलवाड़ाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. मिनाक्षी कंवर पत्नी अभिषेक सिह पुत्री करनी सिंह जाति राजपूत निवासी जयपुर तहसील व जिला जयपुर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.घोषणा

डिक्री दिनांक :– 29.07.2024

वादी की ओर से श्री महेश कुमार गौड़ अधिवक्ता की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री जीतासिह की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 29.07.2024 को स्वाति गुप्ता आर.ए.एस. पदेन सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि करनीसिंह के नाम से चक नम्बर 14 जी.जी.आर. के खाता संख्या 23/23 में कुल 5.060 हैक्टर तथा चक नम्बर 16 जी.जी.आर. के खाता संख्या 11/11 में कुल 1.518 हैक्टर आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक नम्बर 14 जी.जी.आर. के खाता संख्या 23/23 तथा चक नम्बर 16 जी.जी.आर. के खाता संख्या 11/11 में से प्रतिवादी संख्या 1 करनी सिह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 29.07.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुहर से जारी की गई।

मुहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.08.05 11:50:14 IST
Reason: SelfAttested

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी